भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

NEW DELHI REGIONAL OFFICE

Issued in lieu of earlier CoR No.14.000012 dated 23.1.2008 for Asset Finance Company issued to M/s. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या
No. **-14.000012**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेन्सी लिमिटेड को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

M/s. Indian Renewable Energy Development Agency Limited

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जनवरी दो हज़ार आठ की तेईस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at New Delhi this 23rd day of January Two Thousand Eight

निर्मल चंद

निर्मल चंद

(महा प्रबंधक / ~~उप महा प्रबंधक~~)

General Manager / ~~Deputy General Manager~~

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :- "कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 23.01.2008 का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under : "The company is having a valid Certificate of Registration dated 23.01.2008 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5. @आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने की अनुमति नहीं है।	5@.Your company is not allowed to accept / hold public deposits.
6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमाराशि स्वीकार करेगी।	6*.Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.
7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।	7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
@ उन कंपनीयों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमाराशियां स्वीकार न करें। * जनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर लागू।	@ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI. * Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997

भारतीय रि र्व बैंक
गैर बैंकिग पर्यवेक्षण विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110 001

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
6, SANSAD MARG
NEW DELHI-110001

Email-dnbsnewdelhi@rbi.org.in

दूरभाष सं.:23710538	फैक्स सं. : 23713672	तार : रि र्विस्ट	पोस्ट बाक्स सं.: 87
Tel.No. : 23710538	Fax No. : 23713672	Teleg : Reservist	Post Box No.: 87

डी एन बी एस एनडी सं. 4965 /ND-SI/05.09.016 /2008-09 जनवरी 22, 2009

पंजीकृत, पावती सहित

प्रबन्ध निदेशक
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित
Indian Renewable Energy Development Agency Limited
भारतीय पर्यावास केन्द्र
कोर 4-ए, ईस्ट कोर्ट
लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003

महोदय,

भारतीय रि र्व बैंक अधिनियम, 1934 - श्रेणी परिवर्तन के कारण
आपकी कंपनी को नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना

उपर्युक्त विषय पर कृपया दिनांक 13 जनवरी 2009 का अपना पत्र देखें। इस संबंध में हम आपकी कंपनी को Asset Finance Company का दिनांक 23 जनवरी 2008 का पंजीकरण सं. 14.000012 वाला प्रमाण-पत्र रद्द करके नया प्रमाण-पत्र M/s Indian Renewable Energy Development Agency Limited के नाम में, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रुप में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करते हुए जारी कर रहे हैं।

2. पत्र के साथ कम्पनी पर लागू नियमों व शर्तों की एक प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न की जा रही है। कृपया यह ध्यान रहे कि उक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करना कंपनी के लिए अनिवार्य है।

3. कृपया कम्पनी Monthly Return को इस कार्यालय को उचित समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

4. कृपया इस की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय,

निर्मलचंद

(निर्मल चंद)
महाप्रबंधक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कार्यालय
C. M. D. OFFICE
29 JAN 2009
1058
डायरी सं0..............................
Dairy No. ....

अनुलग्नक - यथोक्त

D(F) : Pl. put up 28/1

For ... 29.1.09

SM...

I.कंपनी जनता से जमा राशियां नहीं लेगी।

II. कंपनी अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम1934 में परिभाषित है के तहत 200 लाख रुपये से कम होते ही भारतीय रिर्जव बैंक को तुरन्त सूचना देगी।

III. कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिंयों को समय-समय पर भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी सभी निदेशों/विनियमों / अनुदेशों का पालन करेगी।

IV. कंपनी प्रचार सामग्री या जनता के साथ संप्रेषण में यदि यह उल्लेख करना चाहती है कि उसे भारतीय रिर्ज़व बैंक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वह उसमें निम्नलिखित प्रत्याख्यान /बातें भी शामिल करें।
(क) " भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की मौजूदा स्थिति यथा वित्तीय सुदृढ़ता, कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की शुद्धता या प्रदर्शन या व्यक्त राय और कंपनी की किसी देयता के भुगतान के लिए न तो जिम्मेदारी लेता है और न ही गारंटी देता है।"
(ख) "कानून में न तो कोई ऐसा प्रावधान है और न ही कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि का कोई अंश रखती है तथा कंपनी को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने से भारतीय रिर्जव बैंक किसी भी जमाकर्ता के प्रति जमा राशि के भुगतान की जिम्मेंदारी न तो स्वीकार करता है और न ही गारंटी देता है।"

v. कंपनी को अपने शेयरों की बिक्री या नियंत्रण या स्वामित्व के अंतरण शेयरों सहित या बिना शेयरों के करने से तीन महिने पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी। ऐसी सार्वजनिक सूचना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और उसके साथ ही साथ अंतरणकर्ता या अंतरिती द्वारा भी दी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु 'नियंत्रण' का वही तात्पर्य है जो भारतिय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) शेयरों के अर्जन और अधिग्रहण विनियमन 1997 के विनियम 2(1)(ग) में परिभाषित है। सार्वजनिक सूचना में स्वामित्व के विक्रय या अंतरण के उद्देश्य, अंतरिती का ब्यौरा और स्वामित्व/नियंत्रण के ऐसे विक्रय और अंतरनके कारणों का उल्लेख होना चाहिए। सूचना राष्टीय स्तर के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक और क्षेत्रीय भाषा के अग्रणी समाचार पत्र (पंजीकृत कार्यालय के सथान वाले) में प्रकाशित होनी चाहिए। इस बात की सूचना के प्रकाशित होने के सात दिन के अन्दर सूचना की प्रति (समाचार पत्र की प्रति) भारतीय रिर्जव बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हो। आपको सूचित किया जाता है कि आप इन अनुदेशों का उचित समय पर पालन करें।

VI. कम्पनी यह सुनिश्चित करें कि उन संस्थाओं जिसमें उसके निदेशकों के वृहत्तर हित हों के द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशियां भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम, 1934 के भाग III ग के अनुसार हों।

VII. सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किये जाने वाले नियुक्ति पत्रों में इस आशय का खंड /शर्त शामिल करें कि सांविधिक लेखा परीक्षकों का ध्यान गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (भारतीय रिर्जव बैंक) निदेश 1998 के पैरा 5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है: जिसके अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे निदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में अपवादात्मक /विशिष्ट रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION

NEW DELHI REGIONAL OFFICE

NBFC-IFC

Issued in lieu of earlier CoR No. 14.000012 dated 23.01.2008 for NBFC-ICC to Indian Renewable Energy Development Agency Limited

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या
No. **14.000012**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **इण्डियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेन्सी लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Indian Renewable Energy Development Agency Limited

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन **नई दिल्ली** में **मार्च** दो हज़ार **तेईस** की **तेरहवी** तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at **New Delhi** this **Thirteenth** day of **March** Two Thousand **Twenty-Three**

शिव कुमार यादव

महाप्रबंधक / ~~उप महाप्रबंधक~~

General Manager / ~~Deputy General Manager~~